

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 200/2010/टोंक.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, टोंक.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सोगानी इण्डस्ट्रीज, टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. अजमेरा, उप-राजकीय अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 22/06/2018


निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 1/आरएसटी/2007-08/टोंक में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.08.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 1994-95 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(8) व 29(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.11.99 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 94-95 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.01.1997 को किया गया था जिसमें व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 (जिसे आगे 'योजना-1989' कहा जायेगा) के तहत प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर करमुक्ति का लाभ इस आधार पर दिया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गोपाल ऑयल मिल व अन्य के मामले में दिनांक 23.02.1995 में यह निर्णय किया गया था कि ऐसी यूनिट को दिनांक 04.04.1994 के बाद योजना का लाभ स्वीकार नहीं किया जावे तथा दिनांक 04.04.1994 से पूर्व दिये गये लाभ की वसूली नहीं की जावे, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने इस व्यवहारी को भी लाभ देने से इन्कार करते हुए पूरे कर दायित्व को वसूल योग्य माना गया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.1997 से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमें दिनांक 17.11.1997 को अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने जिला स्तरीय

लगातार.....2





छानबीन समिति (DLSC) द्वारा जारी किये गये मुक्ति प्रमाण-पत्र को अनधिकृत रूप से समाप्त किया है जो उचित नहीं है अतः मुक्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.11.1997 के निर्देशों की पालना किये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 18.11.1999 को आदेश पारित करते हुए व्यवहारी को योजना-1989 के तहत सक्षम समिति से लाभ को निरस्त कराये बिना पुनः करारोपण करते हुए मांग सृजित कर दी गयी, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.08.2009 को यह निर्णय किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम बार दिनांक 31.01.1997 को सम्पूरित कर निर्धारण में DLSC से करमुक्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त कराये बिना ही करमुक्ति का लाभ अपास्त किया गया था उसे क्षेत्राधिकारविहीन मानते हुए अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रथम अपील निर्णय में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वह DLSC से प्रमाण-पत्र को निरस्त करवाकर पुनः आदेश पारित करे एवं यह भी स्पष्ट किया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी को स्वयं के स्तर पर करमुक्ति का लाभ समाप्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। परन्तु अपीलीय आदेशों की पालना नहीं करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश बिना DLSC के किसी निर्णय के ही पारित कर दिया गया, जिसे अविधिक ठहराते हुए कर निर्धारण आदेश को अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम गोपाल ऑयल मिल में यह निर्णय दिया गया था कि दिनांक 04.04.1994 के पश्चात् राज्य के भीतर करमुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में पारित कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत होने से करमुक्ति का लाभ नहीं दिये जाने का कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गयी है, फलतः अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व व्यवहारी को करमुक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त था, जो कि DLSC द्वारा ही जारी किया जा सकता है एवं यदि उसमें किसी तरह की विपरीत विधिक स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति में DLSC द्वारा ही प्रमाण-पत्र को अपास्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में

3/

लगातार.....3

अपीलीय आदेश में राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी नागौर बनाम बजरंगलाल इण्डस्ट्रीज, मेड़तासिटी के उद्धरित प्रकरण पर बल देते हुए कथन किया कि ऐसे समान मामले में DLSC की स्वीकृति के बिना करमुक्ति का लाभ सभाप्त किया जाना अनुमत नहीं है एवं इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय सहायक आयुक्त विशेष वृत्त, अजमेर बनाम विमल इण्डस्ट्रीज केकड़ी निर्णय दिनांक 19.02.2018 का भी हवाला दिया जिसमें DLSC के आदेश के बिना निरस्त किये गये करमुक्ति के लाभ को अविधिक ठहराया गया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रथम बार अपीलीय आदेश दिनांक 17.11.1997 में भी उपायुक्त (अपील्स) द्वारा यह विशिष्ट निर्देश दिये गये थे कि कर निर्धारण अधिकारी DLSC से मुक्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करवाकर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें परन्तु अपीलीय आदेश की पालना किये बिना पुनः कर निर्धारण करते हुए करमुक्ति का लाभ नहीं दिया गया जो अपीलीय आदेश की अवमानना के साथ ही विधिक रूप से भी अपास्तनीय आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। इस प्रकरण में विधि का यह बिन्दु निहित था कि व्यवहारी को करमुक्ति योजना-1989 के तहत जो लाभ दिया गया था वह ऑयल मिल के रूप में दिया गया था परन्तु ऐसे समान प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा लाभ केवल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत ही दिया जाना निर्णीत किया गया है तथा राज्य के भीतर करमुक्ति नहीं दिये जाने के आदेश किये गये थे, परन्तु ऐसे व्यवहारियों को जो प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे उसके अनुसार करमुक्ति का लाभ प्राप्त किये जाने का अधिकार प्राप्त था परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उसे निरस्त करवाया जा सकता था जिसके लिये सक्षम DLSC ही अधिकृत थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही करमुक्ति के लाभ को निरस्त किया गया।

6. उक्त प्रकरण में प्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.01.1997 एवं प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 17.11.1997 का अवलोकन किया गया। प्रथम बार किये गये अपीलीय आदेश दिनांक 17.11.1997 में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि व्यवहारी को DLSC द्वारा करमुक्ति का जो प्रमाण-पत्र जारी किया हुआ है वह तब तक वैध है जब तक कि समयावधि पूर्ण नहीं हुई हो या किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ हो एवं उस प्रमाण-पत्र को सक्षम

31


लगातार.....4

DLSC द्वारा निरस्त नहीं किया गया हो, तब तक वह प्रमाण-पत्र अस्तित्व में रहने से करमुक्ति का लाभ लिया जा सकता है। फलतः कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए यह विशिष्ट निर्देश दिये गये थे कि योजना-1989 में दी गई प्रक्रिया अनुसार प्रमाण-पत्र को निरस्त करवाने के पश्चात् पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेशों की अवहेलना करते हुए एवं मुक्ति प्रमाण-पत्र को सक्षम DLSC से निरस्त कराये बिना ही करमुक्ति प्रमाण-पत्र का लाभ प्रदान नहीं किया जो पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है, ऐसी स्थिति में दूसरी बार की गई अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा ऐसे अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम बार किये गये निर्णय दिनांक 17.11.1997 के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, बल्कि अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना भी नहीं की गई है, फलतः अविधिक रूप से पारित किये गये आदेश को अपास्त करने के अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. इस प्रकरण में यह टिप्पणी करना भी उचित होगा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को यह अवसर प्रदान किया गया था कि वह DLSC से प्रमाण-पत्र को निरस्त करवाने की कार्यवाही करते हुए पुनः करारोपण की कार्यवाही करें, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाही किये बिना ही पुनः वही अविधिक आदेश पारित कर दिया गया जो पूर्व के कर निर्धारण आदेश में किया गया था। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश से विधिक स्थिति को परिज्ञान में लाये जाने के बावजूद भी अविधिक आदेश पारित किये जाने की जो त्रुटि की गयी है, उसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आदेश अपास्त किया गया है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य